# अकबर के राजत्वकाल में उलेमाओं की स्थिति

**डॉ. शकुन्तला सिंह**

अकबर के राजत्वकाल में सात सद्र–अस–सुदूर हुए। इनमें प्रथम बाईस वर्षो में चार सद्र नियुक्त हुए। सर्वप्रथम बैराम खाँ ने अपने संरक्षण कालमें शेख गदाई को फरवरी, 1556 में 'सद्र–उस–सुदूर' के पद पर नियुक्त किया। वह शिया मतावलंबी, विद्वान तथा प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति था। बैराम खाँ शासन सम्बन्धी किसी भी कार्यवाही के पूर्व उसकी सलाह लेता था। शेख गदाई को मुस्लिम उलेमाओं, विद्वानों एवं फकीरों को जागीर और वजीफा देने के पूरे अधिकार प्राप्त थे। इसके पश्चात् अब्दुल बाकी तथा ख्वाजा मुहम्मद साहिल सद्र नियुक्त हुए। 1565 में मुजफर खाँ की संस्तुति पर अब्दुन्नबीसद्र नियुक्त हुआ। उसे धार्मिक कार्यों के लिए अनुदान, वजीफे, जागीर आदि प्रदान करने का अधिकार प्राप्त थे। वह धर्मांध सुन्नी था। अकबर की उदारवादी नीति का पालन करना उसके लिए सम्भव नहीं था। उसने गैर सुन्नी मुसलमानों तथा अन्य धर्मावलंबियों पर अत्याचार किए। सम्राट ने उसे इस पद से 1579 में हटा दिया। अकबर ने सद्र के कार्यों की जाँच करायी। जनवरी 1579 को उसने सुल्तान ख्वाजा को सद्र नियुक्त किया एवं उसे तूरखाँ की उपाधि दी। ख्वाजा दीन इलाही का सदस्य था। अकबर की मृत्यु के समय मीरान सद्रजहाँ सद्र था। सद्र–उस–सुदूर की नियुक्ति सम्राट की इच्छा पर उसके द्वारा होती थी। इसके कार्यकाल की कोई निश्चित अवधि नहीं थी। सद्र के कार्य से असंतुष्ट होकर सम्राट इन्हें हटा देता था। साधारणतया सद्र को उनके वेतन के एवज में भूमि दी जाती थी। अकबर के काल के अन्तिम सद्र सद्रजहां को 2,000 का मनसब प्राप्त था। सद्र का कार्यालय दीवान तथा बख्शी के कार्यालय से बहुत छोटा था।